बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

पत्रांक– टी–03/यो0 10/2016– 1184 पटना, दिनांक– 15-5-2017

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– वित्त विभाग।

विषयः– **वितिय वर्ष 2017–18 में** सात निश्चय के अन्तर्गत राज्य के अनाच्छादित 07जिलों में यथा शिवहर ,वैशाली, मघुबनी, औरंगाबाद, किशनगंज, मधेपुरा तथा बॉका में नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यदेश संख्या **बी0एस0डी0एम0/बजट–23/2015 –63 दिनांक 28–3–168(छाया प्रति संलग्न)**के कंडिका 2.6 के दिशा निर्देश के आलोक में भूमि उपलब्धता के आधार पर सात निश्चय के अन्तर्गत राज्य के अनाच्छादित 07 जिलों यथा शिवहर ,वैशाली,मघुबनी, औरंगाबाद, किशनगंज, मधेपुरा तथा बॉका के शिक्षित युवतियों को कुशल तकनीशियन एवं कामगार के रूप में तैयार करने हेतु आधुनिक व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने के उद्देश्य से **नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना** योजनान्तर्गत नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर 04 आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षित करते हुए रोजगार/स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

2. वर्त्तमान में उक्त स्थापित होनेवाले महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पूर्व से इन जिलों में स्थापित संस्थान के भवनों / किराये के भवनों में (अपना भवन निर्मित होने तक) चलाया जाना है। इसके लिये आवश्यक संसाधन आदि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2017–18 से की जाएगी तथा प्रशिक्षण वर्ष2017 से प्रारंभ किया जाएगा। संस्थानों के लिये अपना प्रशासनिक भवन तथा कर्मशाला भवन हेतु भूमि उपलब्ध / हस्तांतरित होते ही भवन निर्माण की कारवाई प्रारंभ की जाएगी। वर्तमान मे 04 आधुनिक एवं लोकप्रिय व्यवसाय की स्थापना कर संस्थान चलाया जाना है, जो निम्नवत् है–

कमांक–	व्यवसाय का नाम–	यूनिट	कुल प्रशिक्षणार्थियों की सं0	प्रशिक्षण अवधि
1–	इन्फॉरमेशन एण्ड कॉमन्यूकेशन टेक्नॉलाजी सिस्टम मेंटेनेन्स	2(1+1)	42	दो वर्ष
2–	इलेक्ट्रीशियन–	2(1+1)	42	दो वर्ष
3–	मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स अपलाइएन्सेज	2(1+1)	42	दो वर्ष
4–	इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक	2(1+1)	42	दो वर्ष
	कुल–	08	168 (एक सौ अड़सठ)	

नव स्थापित होनेवाले महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निम्न प्रकार पदों का सृजन किया जाना है :–

पद	वेतनमान	ग्रेड पे	सृजित एवं स्वीकृत किये जाने वाले पद की संख्या (प्रति संस्थान x 22)
प्राचार्य	9300–34800	4800	01 x 7 = 7
उप प्राचार्य	9300–34800	4600	01 x 7 = 7
सहायक अधीक्षक	9300–34800	4200	01 x 7 = 7
मुख्य अनुदेशक	9300–34800	4200	01 x 7 = 7
व्यवसाय अनुदेशक	9300–34800	4200	08 x 7 = 56
गणित अनुदेशक	9300–34800	4200	01 x 7 = 7
ड्राइंग अनुदेशक	9300–34800	4200	01 x 7= 7
अंग्रेजी अनुदेशक	9300–34800	4200	01 x 7 = 7
प्रधान लिपिक	9300–34800	4200	01 x 7 = 7
उ0व0लिपिक	5200–20200	2400	02 x 7 = 14
भंडारपाल	5200–20200	1900	01 x 7= 7
डाटा इंट्री ऑपरेटर	5200–20200	2400	01 x 7 = 7
नि0व0लिपिक	5200–20200	1900	02 x 7 = 14
मिश्रक	5200–20200	1900	01 x 7 = 7
कार्यालय परिचारी	4440–7440	1800	06 x 7 = 42
स्वीपर	4440–7440	1300	01 x 7 = 7

कुल– **30 x 7 = 210**
(दो सौ दस पद)

Sd/-

अंग्रेजी अनुदेशक/डाटा इंट्री ऑपरेटर/कार्यालय परिचारी तथा स्वीपर की नियुक्ति संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जाएगा।

प्रति संस्थान स्थापनादि व्यय संबंधी प्रस्ताव :–

स्थापना व्यय	8000000.00
कार्यालय व्यय एवं अन्य	1000000.00
मशीनें एवं उपस्कर	4000000.00
योगः–	13000000.00 रुपये

(रूपये एक करोड़ तीस लाख) मात्र ।

इस प्रकार 07 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना पर कुल 7 X 130 = 910 लाख अनुमानित है।

3– इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होगें तथा प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (संबंधित जिलों) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें।

4– इस योजना के तहत राशि की निकासी संबंधित वित्तीय वर्ष में मुख्य शीर्ष– 2230–श्रम और रोजगार, उपमुख्य शीर्ष– 03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष–101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मांग संख्या–26, उपशीर्ष–0101– नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, विपत्र कोड–26–2230031010101 एवं निर्माण कार्य पर व्यय मुख्य शीर्ष–4059 –लोक निर्माण कार्य पर पुंजीगत् परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष– 60 –अन्य भवन, लघु शीर्ष–051–निर्माण, मांग संख्या–3, उपशीर्ष–0112– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड–03– 4059600510112 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5– इस राशि की निकासी संबंधित जिलों के कोषागार/उपकोषागार से संबंधित उपशीर्ष के बजट उपबंध के अनुरूप आवंटन निर्गत करने के पश्चात किया जाएगा।

6– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **बी0एस0डी0एम0/बजट–23/2015 –63 दिनांक 28–3–16 में योजना प्राधिकृत समिति / मंत्रीपरिषद एवं वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है, जिसके आलोक में यह स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा रहा है।**

7– इस स्थापना के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है। इससे संबंधित कोषागार एवं वेतनादि की निकासी का विपत्र कोड निम्न प्रकार हैः–

क0सं0	संस्थान का नाम	कोषागार का नाम	वेतनादि की निकासी का विपत्र कोड
1	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण शिवहर	शिवहर	26–2230031010101
2	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण वैशाली,	वैशाली	26–2230031010101
3	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण मघुबनी,	मघुबनी,	26–2230031010101
4	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण औरंगाबाद	औरंगाबाद	26–2230031010101
5	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण किशनगंज	किशनगंज	26–2230031010101
6	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण , मधेपुरा	मधेपुरा	26–2230031010101
7	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण बॉका	बॉका	26–2230031010101

8– स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अपर सचिव, 11/5/17
श्रम, संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी3यो0 10/2016––– 1184 पटना, दिनांक– 15-5-2017

प्रतिलिपिः–मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों)/वित्त विभाग (बजट–शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव /माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव, /सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार', श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अपर सचिव, 11/5/17
श्रम, संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी–3/यो0 10/2016– 1184 पटना, दिनांक– 15-5-2017

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना/सभी उपनिदेशक प्रशिक्षण/क्षेत्रिय निरीक्षी पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक, नियोजन भवन वेली रोड पटना/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग/सभी संबंधित प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/सभी स्थापना शाखा, नामांकन शाखा, नियुक्ति शाखा, व्यय शाखा ,भवन शाखा एवं बजट शाखा (सरकार पक्ष एवं निदेशालय प्रशिक्षण पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अपर सचिव, 11/5/17
श्रम, संसाधन विभाग।

(34) (98) (26)

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

पत्रांक- बी0एस0डी0एम0 / बजट–23 / 2015– 63 पटना, दिनांक– 28/3/2016

प्रेषक,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– वित्त विभाग।

विषय:- सात निश्चय के तहत राज्य के अनाच्छादित 22 जिलों में वर्ष 2016–17 से चरणबद्ध तरीके से नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय के अन्तर्गत राज्य के अनाच्छादित 22 जिलों के शिक्षित युवतियों को कुशल तकनीशियन एवं कामगार के रूप में तैयार करने हेतु आधुनिक व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने के उद्देश्य से नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना के अन्तर्गत राज्य के अनाच्छादित जिलों में नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर 04 आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षित करते हुए रोजगार / स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2016–17 से चरणबद्ध तरीके से (भूमि की उपलब्धता के आधार पर) अनाच्छादित 22 जिलों में नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर तत्काल किराये / सरकारी भवन में उपलब्धता के आधार पर चलाया जाना है।

राज्य के शिक्षित युवतियों को रोजगारोन्मुखी आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से अनाच्छादित जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर भवन निर्माण प्रारम्भ किया जाना है, जो निम्न प्रकार है–

2016–17	07 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
2017–18	07 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
2018–19	08 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
कुल	**22 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान**

वर्त्तमान में किराये के मकान में 04 आधुनिक व्यवसायों की स्थापना कर वर्ष 2016–17 से चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। इसके लिये आवश्यक संसाधन आदि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2016–17 से की जाएगी। संस्थानों के लिये अपना प्रशासनिक भवन तथा कर्मशाला भवन हेतु भूमि उपलब्ध होते ही भवन निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। वर्तमान में 04 आधुनिक एवं लोकप्रिय व्यवसाय की स्थापना कर संस्थान चलाया जाना है, जो निम्नवत् है–

क्रमांक–	व्यवसाय का नाम–	यूनिट	कुल प्रशिक्षणार्थियों की सं0	प्रशिक्षण अवधि
1–	इन्फॉरमेशन एण्ड कॉमन्यूकेशन टेक्नॉलाजी सिस्टम मेंटेनेन्स	2(1+1)	42	दो वर्ष
2–	इलेक्ट्रीशियन–	2(1+1)	42	दो वर्ष
3–	मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स अपलाइएन्सेज	2(1+1)	42	दो वर्ष
4–	इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक	2(1+1)	42	दो वर्ष
	कुल–	08	168 (एक सौ अड़सठ)	

बाजार मॉग के आधार पर आवश्यकतानुसार व्यवसायों में परिवर्त्तन / नये व्यवसायों का चयन किया जाएगा।

स्थापित होनेवाले महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निम्न प्रकार पदों का सृजन किया जाना है –

पद	वेतनमान	ग्रेड पे	सृजित एवं स्वीकृत किये जाने वाले पद की संख्या (प्रति संस्थान x 22)
प्राचार्य	9300–34800	4800	01 x 22 = 22
उप प्राचार्य	9300–34800	4600	01 x 22 = 22
सहायक अधीक्षक	9300–34800	4200	01 x 22 = 22
मुख्य अनुदेशक	9300–34800	4200	01 x 22 = 22
व्यवसाय अनुदेशक	9300–34800	4200	08 x 22 = 176
गणित अनुदेशक	9300–34800	4200	01 x 22 = 22
ड्राइंग अनुदेशक	9300–34800	4200	01 x 22 = 22
अंग्रेजी अनुदेशक	9300–34800	4200	01 x 22 = 22
प्रधान लिपिक	9300–34800	4200	01 x 22 = 22
उ0व0लिपिक	5200–20200	2400	02 x 22 = 44